रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247428 CG-DL-E-18072023-247428

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] No. 412] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 518(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"3क चयन समिति और इसकी प्रक्रिया.- (1) महानिदेशक का चयन छानबीन-सह-चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

(क) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- अध्यक्ष:

4613 GI/2023 (1)

(ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में, एक अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हों

- सदस्य:

- (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ-प्रतिष्ठित व्यक्ति
- सदस्य
- (2) महानिदेशक के चयन के प्रयोजनार्थ, छानबीन-सह-चयन समिति-
  - (क) अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी; और
  - (ख) तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।
- (3) महानिदेशक की नियुक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी।"
- 3. उक्त नियमों की अनुसूची में, -
  - (क) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
लेवल 15 (1,82,200-2,24,100 रुपये)।";	

- (ख) स्तंभ (10) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर , "लागू नहीं" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) स्तंभ (12) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी,-

- (क) (i) नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए गए हों; या
  - (ii) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-14 (1,44,200-2,18,200रुपये) या समतुल्य में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ: और
- (ख) सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाले व्यक्ति होने चाहिए और जिनके पास अन्वेषण के अनुभव और लेखा, प्रबंधन, कारबार, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विधि या अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए।"।
- (घ) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "लागू नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा.सं. कॉम्प-01/1/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 563 (अ) तारीख 04 अगस्त, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2023

- **G.S.R. 518(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Director General) Recruitment Rules, 2009, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Director General) Recruitment Amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Director General) Recruitment Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—
  - "3A. Selection Committee and its procedure. –(1) Selection of the Director General shall be made through the Search-cum-Selection Committee consisting of
    - (a) the Chairperson, Competition Commission of India

- Chairperson;

(b) an officer not below the rank of Joint Secretary

to the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs

- Member;

(c) an expert-person of eminence nominated by the

- Member.

Central Government

- (2) For the purpose of selection of the Director General, the Search-cum-Selection Committee shall-
  - (a) devise its own procedure; and
  - (b) recommend a panel of upto three names.
- (3) The Director General shall be appointed by the Competition Commission of India out of the panel recommended by the Search-cum-Selection Committee, after obtaining prior approval of the Central Government."
- 3. In the Schedule to the said rules, -
  - (a) for column (4) and the entries relating thereto, the following column and entries shall be substituted, namely: -

"Level in the pay matrix	
(4)	
Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100).";	

- (b) in column (10), for the words "Two years", the words "Not applicable" shall be substituted;
- (c) in column (12), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Officers of the Central Government or State Government,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with three years regular service in the post in pay level -14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) in the pay matrix or equivalent; and
- (b) should be persons of integrity and outstanding ability and who have experience in investigation, and knowledge of accountancy, management, business, public administration, international trade, law or economics."
- (d) in column (13), for the existing entries, the entry "Not applicable" shall be substituted.

[F. No. Comp-01/1/2023-Comp-MCA] MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 563(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2009.